जनजातीय समस्याएँ
(Problems of Tribes)

भारत में जनजातीय समूह को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इनकी कुछ प्रमुख समस्याओं पर निम्न प्रकार प्रकाश डाला गया है

सांस्कृतिक समस्याएँ
(Cultural Problems)

निम्न तथ्यों के अन्तर्गत जनजातियों की सांस्कृतिक समस्याओं को स्पष्ट किया जा सकता है

(1) सांस्कृतिक विभिन्नता भारतीय जनजातियाँ विभिन्न धर्मों के प्रभाव में आने से उनके जाति व्यवस्था को अपनाने लगी हैं। इस तरह अनेक धर्मों की संस्कृतियों को अपना लेने से उनमें सामंजस्य की समस्या उत्पन्न हो रही है।

Scanned with CamScanner

(2) कला-कौशल का विघटन जनजातीय कला बहुत आकर्षक होती है। ये सामग्री बनाने में काफी निपुण होते हैं। इनके द्वारा बनायी गयी सामग्री जैसे-बाँसुरी, डलिया तथा लकड़ी के ऊपर नक्काशियाँ आदि आकर्षक व योग्य होती हैं, बाहरी सांस्कृतिक सम्पर्क से हस्तकला में रुचि नहीं रही, जिससे ये कला विलुप्त हो रही है। जनजातीय नृत्य व संगीत की अपने आप में एक अलग पहचान व आकर्षण है। सांस्कृतिक सम्पर्क से फिल्मी गानों व सस्ते किस्म के नृत्य इन लोगों में प्रसिद्ध हो रहे हैं तथा इनका पारम्परिक संगीत व नृत्य विलुप्त होने के कगार पर है।

(3) भाषाई समस्या ब्रिटिश शासन से मुक्ति के बाद भारत में औद्योगीकरण एवं नगरीकरण का विकास तेजी से हो रहा है। परिणामस्वरूप जनजातियाँ खुद की भाषा को छोड़कर नवीन सांस्कृतिक भाषा को अपना रही हैं। परन्तु इस नयी भाषा की वजह से जनजातियों में पारस्परिक आदान-प्रदान में कठिनाई आ रही है। अपनी भाषा होने से सामुदायिक भावना बनी रहती है, जो कि दूसरी भाषाएँ अपनाने से नष्ट हो जाती है तथा सामाजिक संगठन में शिथिलता उत्पन्न होती है।

आर्थिक समस्याएँ
(Economic Problems)

भारतीय जनजातियों में पायी जाने वाली कुछ प्रमुख आर्थिक समस्याएँ निम्न प्रकार वर्णित हैं

(1) बेरोजगारी की समस्या वन सम्पदा के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगने से ये बेरोजगार हो गये हैं। पहले तो ये वन सम्पदा के दोहन से हस्तशिल्प के द्वारा कुछ वस्तुओं का निर्माण करके कुछ जीविका अर्जित कर लेते थे, पर औद्योगीकरण के परिणामस्वरूप न तो इनके द्वारा हस्त निर्मित वस्तुओं की उचित माँग है और न ही इन्हें वन सम्पदा का दोहन करने दिया जाता है।

(2) ऋणग्रस्तता जनजातीय लोग अशिक्षित होने के साथ-साथ गरीब भी होते हैं। वे अपने कार्यों की पूर्ति के लिए सेठ से कर्ज लेते हैं जिनके बदले सेठ उनसे सादा कागज पर अँगूठा लेता है तथा सूद नहीं जमा करने पर इनकी सम्पत्ति व आभूषण ले लिये जाते हैं तथा इन्हे बँधुवा मजदूर बना लेते हैं। ऋणग्रस्तता से कन्या-विक्रय, वेश्यावृत्ति उत्पन्न होती है।

(3) फैक्ट्रियों द्वारा जनजातीय जीवन का हरण देश के विभिन्न क्षेत्रों में सरकार द्वारा जमीन अधिग्रहण से भी जनजातियों को दिक्कत होती है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सन् 1965 में कोरबा जिले (जो अब छत्तीसगढ़ में शामिल हो गया है) की 1950 एकड़ जनजातीय जमीन को भारत एल्यूमीनियम कार्पोरेशन को 99 वर्ष के लिए पट्टे पर दे दी गयी। इसके अतिरिक्त फटका पहाड़, अमरकन्टक और मैनपत स्थित तीन खदानें भी जनजातीय क्षेत्र में आती हैं। ये तीनों खदानें भी भारत एल्यूमीनियम कार्पोरेशन को दी गयी हैं। आर्थिक विकास की दौड़ में वन सम्पदा से अलग होने से जनजातियाँ आर्थिक समस्याओं में फँसती चली जा रही हैं।

(4) परिवर्तनशील कृषि की समस्या कुछ जनजातियाँ परिवर्तनशील या अस्थायी खेती करते हैं जिससे इनकी जमीन नष्ट होती है और उसकी उत्पादक क्षमता भी कम हो जाती है। इसके कारण जनजातियों की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय हो जाती है।

(5) वन अधिनियमों से संबंधित समस्याएँ प्रारम्भ में अधिकतर जनजातियाँ अपना जीवन-यापन जंगलों में ही करती थीं। वे वनों से विभिन्न प्रकार की सामग्री का निर्माण करके उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे किन्तु वर्तमान नियमों के अनुसार ये वन ठेकेदारों को दे दिये जाते हैं। ठेकेदार इन जनजातियों का शोषण करता है तथा उन्हें वन-सम्पदा का उपयोग करने नहीं देता, जिससे ये गरीबी में अपना जीवन व्यतीत करने को मजबूर हो जाते हैं।

Scanned with CamScanner

राजनैतिक तथा प्रशासन-सम्बन्धी समस्याएँ
(Political and Administrative Problems)

भारतीय जनजातियों के समक्ष एक राजनैतिक जीवन में अनुकूलन की समस्याएँ है। ये समस्याएँ आज की शासन-व्यवस्था में स्वतः ही पैदा हो गयी हैं। नये कानूनों के अन्तर्गत उनके पुराने वंशानुगत मुखिया और पंचायतों की सर्वमान्य सत्ता समाप्त कर दी जा रही है जिसके फलस्वरूप जनजातियों में असन्तोष की भावना उत्पन्न हो गयी है, सरकारी कानूनों के द्वारा जनजातियों का कितना नुकसान हो रहा है, इस ओर श्री राय ने सबका ध्यान आकर्षित किया है। जनजातियों के रीति-रिवाजों, भावनाओं व आशाओं का पूर्ण रूप से ज्ञान न होने की वजह से जज, पुलिस, वन अधिकारी आदि के बेहतर इरादे भी जनजातियों के दिल को जीत नहीं सके हैं। इसके कारण जनजातियों के जीवन की समस्याएँ और बढ़ती जा रही हैं।

सामाजिक समस्याएँ
(Social Problems)

आज भी भारतीय जनजातियों को विभिन्न प्रकार की सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सामाजिक दृष्टि से यह वर्ग काफी पिछड़ा हुआ है। इस वर्ग की कुछ सामाजिक समस्याएँ निम्नलिखित हैं

(1) कन्या-मूल्य कुछ जनजातीय समाज में वर पक्ष से कन्या-मूल्य लेकर बेटी का विवाह करने का प्रचलन है। कभी-कभी यह कन्या-मूल्य इतना ज्यादा होता है कि वह व्यक्ति के लिए देना क्षमता के बाहर होता है। ऐसी स्थिति में कई व्यक्ति मिलकर कन्या को क्रय कर लेते हैं और उसे सामूहिक व्यक्तियों की पत्नी के रूप में जीवन व्यतीत करना पड़ता है।

(2) अनैतिकता इस समूह की महिलाएँ कुछ तत्त्वों के बहकावे में आकर अनैतिक कार्यों में लिप्त हो जाती हैं, जिससे इन्हें समाज से निष्कासित कर दिया जाता है, फलतः ये वेश्यावृत्ति को अपनाने के लिए मजबूर हो जाती हैं, जिसे समाज अनैतिक मानता है।

स्वास्थ्य-सम्बन्धी समस्याएँ
(Problems Relating to Health)

वैसे तो स्वास्थ्य की समस्या से हर व्यक्ति परेशान है, पर जनजातियों में यह कुछ ज्यादा ही है। इसके लिए पहनावा, खान-पान, उचित देखरेख आदि को जिम्मेदार माना जा सकता है। जनजातियों की कुछ प्रमुख समस्याएँ निम्न प्रकार वर्णित हैं

(1) अधिक रोग और चिकित्सा का अभाव (More diseases and absence of treatment)आहार में पौष्टिक तत्त्वों की कमी के कारण भी विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त, चाय के बागानों और खानों में काम करने वाली स्त्रियों और पुरुषों में व्यभिचार बढ़ने के साथ-साथ गुप्त रोग भी तेजी से फैल रहे हैं। साथ ही इन रोगों की चिकित्सा का नितान्त अभाव होने का कारण जनजातीय क्षेत्रों में इन रोगों की समस्या बहुत सोचनीय है।

(2) खान-पान (Food and Drink)जनजाति लोग मादक द्रव्यों का सेवन प्रतिदिन और उत्सव आदि में विशेषकर करते हैं। ये मादक पदार्थ ताड़, महुआ अथवा चावल से बने होते हैं परन्तु विटामिन 'बी' और 'सी' अधिक मात्रा में होने के कारण ऐसे मादक द्रव्यों से हानि कम लाभ अधिक होता है। सरकार ने ऐसे मादक पदार्थों के सेवन व उत्पादन पर रोक लगा दी है, जिससे देशी और

Scanned with CamScanner

विलायती शराबों का प्रचलन बढ़ गया है। चूँकि यह शराब अधिक मादक और हानिप्रद होती है, इस कारण इसके उपभोग से जनजातियों का स्वास्थ्य बहुत प्रभावित हुआ है। गरीबी के कारण वे संतुलित व पौष्टिक आहार नहीं ले पाते हैं, जिससे उनमें कुपोषण भी देखने को मिला है।

(3) वस्त्र (Clothes) गरीबी के कारण जनजातियाँ एक ही कपड़े को बिना धुले ज्यादा दिन तक पहनते हैं, जिससे गन्दगी और चर्म रोग फैलते हैं। बरसात के दिनों में ये कपड़े बदन पर ही भीगते हैं और बदन पर ही सूखते हैं, जिससे निमोनिया आदि रोग होते हैं। गन्दे कपड़ों में जुएँ आदि पड़ जाने से 'टाइफस' नामक संक्रामक रोग फैल जाता है, जिसके कारण उन्हें अपनी जान तक गवानी पड़ती है, जनजातियों के खान-पान की स्थिति संतोषजनक नहीं होती है।

जनजातीय समस्याओं का निदान
(Solution of Tribal Problems)

उपर्युक्त विवेचनाओं से स्पष्ट है कि अनुसूचित जनजातियों के जीवन में विभिन्न समस्याएँ उत्पन्न हो गयी हैं। कुछ समस्या उनके पिछड़ेपन की देन है तो कुछ बाहरी समाज के सम्पर्क में आने से उत्पन्न हुई। यदि सरकार जनजातियों के जीविकोपार्जन हेतु उन्हें वन सम्पदा का न्यूनतम दोहन करने दे तथा इन क्षेत्रों में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त अधिकारियों की नियुक्ति करे तो इनमें कुछ परिवर्तन जरूर दिखाई देंगे। इसके अतिरिक्त सरकार को इनके स्वास्थ्य तथा शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। कुछ दिन पूर्व हिमाचल प्रदेश के गवर्नर श्री सूरजभान द्वारा अनुसूचित जाति व जनजाति के शिक्षा व कल्याण की भावना से एक न्यास के स्थापना की घोषणा की गयी थी।

भारत में अनुसूचित जनजातियों हेतु संवैधानिक व्यवस्थाएँ

भारत के संविधान में देश के हर वर्ग के नागारिक को समान महत्त्व दिया गया है। जनजातियों के विकास हेतु भी कई महत्त्वपूर्ण व्यवस्थाएँ की गयी हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 की व्यवस्थाओं के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा जारी आदेश में अनुसूचित जातियों का विवरण दिया गया है। संविधान में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य निर्बल व कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने तथा निर्योग्यताओं को दूर करने के लिए संरक्षण की व्यवस्थाएँ की गयी हैं। संविधान में उन जातियों के लिए जो विशेष व्यवस्थाएँ की गयी हैं, उनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है

1. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 ख के अनुसार हिन्दुओं के सार्वजनिक स्थानों पर सभी हिन्दू जायें।
2. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324, 330 तथा 342 के अनुसार लोकसभा तथा राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों के कुछ सीटें आरक्षित की जाय।
3. अनुच्छेद 16 और 335 के अनुसार सार्वजनिक सेवाओं या सरकारी नौकरियों में जनजातीय लोगों का पर्याप्त नेतृत्व करने हेतु उन्हें आरक्षण की सुविधा देना और सरकारी नौकरियों में नियुक्तियों के समय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावों पर विचार करना।
4. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 46 के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की रक्षा की जाय और इन्हें सभी प्रकार के सामाजिक शोषण से बचाया जाय।
5. अनुच्छेद 29-2 के अनुसार सरकार द्वारा संचालित अथवा सरकारी कोश से सहायता पाने वाले शिक्षालयों में उन्हें प्रवेश दिया जाय।

Scanned with CamScanner

6. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15, 2 के अनुसार दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों का उपयोग करने पर लगी रुकावटें हटायी जायँ, जिनका पूरा या कुछ व्यय सरकार उठाती है अथवा जो जनसाधारण के निमित्त समर्पित हैं।
7. संविधान के भाग 6, अनुच्छेद 164 में असम के अलावा बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में जनजातीय मंत्रालय स्थापित करने की व्यवस्था की गयी है।
8. संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 46 में जनजातियों की शिखा की उन्नति और आर्थिक हितों की सुरक्षा की ओर विशेष ध्यान देना राज्य का कर्तव्य बताया गया है।
9. संविधान के अनुच्छेद 19-5 के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के हित में भारत में स्वतंत्रतापूर्वक आने-जाने, रहने और बसने तथा सम्पत्ति खरीदने, रखने और बेचने के आम अधिकारों पर राज्य द्वारा उचित प्रतिबँध लगाने की कानूनी व्यवस्था है।
10. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164, 338 तथा पाँचवीं अनुसूची के अनुसार जनजातियों के कल्याण हितों की रक्षा हेतु राज्यों में जनजाति सलाहकार परिषद् तथा पृथक् विभागों की स्थापना और केन्द्र में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाय।
11. संविधान के अनुच्छेद 224 और पाँचवीं तथा छठी अनुसूचियों के अनुसार अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के लिए विशेष व्यवस्था की जाय।
12. अनुच्छेद 244 (2) के अनुसार असम की जनजातियों हेतु जिला और प्रादेशिक परिषद् (District and Regional Council) स्थापित करने की व्यवस्था है।
13. संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार मनुष्य के देह व्यापार और जबरन यौन सम्बन्ध को पूर्णतया प्रतिबन्धित किया जाय।

भारतीय संविधान बहुत बड़ा है, जिनमें दिये गये अनेक प्रावधानों का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों को मुख्यधारा से जोड़ना है, जिससे कि वे देश की तरक्की में भागीदार बन सकें।

जनजातीय उपयोजना

इसे संक्षेप में टीएसपी कहते हैं जिसे सन् 1974-75 में अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए प्रारम्भ किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा बनाये गये विकास कार्यक्रमों का उचित हिस्सा जनजातियों तक पहुँचाना है। इसमें राज्य योजना की धनराशि के साथ सभी केन्द्रीय मंत्रालय/विभागों की धनराशि का लाभ भी अनुसूचित जनजाति को मिलना सुनिश्चित करने व्यवस्था की गयी है।

जनजातीय उपयोजना के विकास कार्यों को प्रोत्साहन देने में प्रशासन की सहायता मिलती रहती है। टीएसपी रणनीति 195 एकीकृत जनजाति विकास परियोजनाओं (आईटीडीपी)/एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों (आईटीडीए), 259 संशोधित क्षेत्र विकास पहुँच (एमएडीए) और 82 समूहों के माध्यम से लागू की जा रही है। इसका लाभ अनुसूचित जनजाति के लोगों को भी मिल रहा है।

टीएसपी के आय के स्रोत हैं केन्द्र समर्थित योजनाओं, विशेष केन्द्रीय सहायता, राज्य योजना और संस्थागत वित्त आदि। यह सिफारिश की गयी है कि केन्द्रीय मंत्रालयों अनुसूचित जनजाति के कल्याण व विकास के लिए बजट का न्यूनतम आठ प्रतिशत उपयोग में लाये।

जनजातीय उपयोजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता

जनजातियों को विशेष सहायता देने के उद्देश्य से सन् 1974 में भारतीय प्रशासन द्वारा

Scanned with CamScanner

जनजातीय उपयोजना के समर्थन में राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों की एससीए योजना लागू की गयी है। इसका प्रमुख उद्देश्य पारिवारिक आय बढ़ाने के कार्यक्रमों में अन्तर को समाप्त करना है। विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत अनुसूचित जनजातियों को अधिक लाभ पहुँचाने हेतु उनके विकास के लिए नौवीं पंचवर्षीय योजना में जो धनराशि मुहैया करायी गयी थी उसे बाद में और भी बढ़ाया गया।

आदिम जनजाति समूहों के लिए योजना

इसी क्रम में भारत सरकार ने वर्ष 1998-99 में आदिम जनजाति समूहों के सर्वांगीण विकास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की योजना शुरू की है। इस योजना के तहत अन्य किसी योजना में शामिल नहीं की गयी परियोजनाएँ/गतिविधियाँ शुरू करने के लिए समन्वित जनजातीय विकास परियोजनाओं, जनजातीय शोध संस्थानों और गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय मदद प्रदान की जाती है।

अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों हेतु छात्रावासों के निर्माण की योजना

जैसा कि यह पहले स्पष्ट किया जा चुका है कि केन्द्रशासित प्रदेशों में केन्द्र सरकार पूरा खर्च वहन करती है। केन्द्र और राज्य दोनों सरकारें अनुसूचित जनजाति के बालक एवं बालिकाओं के लिए छात्रावासों के निर्माण में आने वाले कुल खर्च का आधा-आधा भुगतान करती हैं। निर्माण की लागत राज्य लोक निर्माण विभाग और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की दरें, जो भी कम हों, पर आधारित हैं। छात्रावास के निर्माण का उत्तरदायित्व संबद्ध/केन्द्रशासित प्रदेश का है। छात्रावास में कुछ सौ सीटों की व्यवस्था की गयी थी।

अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की मैरिट का उन्नयन

शिक्षा के क्षेत्र में विकास हेतु इस योजना को प्रारम्भ किया गया। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य 10वीं तथा 12वीं के अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग उपलब्ध कराना था ताकि वे इंजीनियरिंग और मेडिकल जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए तैयारी कर सकें। राज्य/केन्द्रशासित प्रदेशों में यह योजना केन्द्र सरकार के सानिध्य में चलायी जा रही है। इस योजना में आने वाले कुल खर्च का वहन केन्द्र सरकार ही करती है।

अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों हेतु मैट्रिक पश्चात् छात्रवृत्तियह योजना अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से चलायी गयी है। इस योजना में पेशेवर, तकनीकी, गैर-पेशेवर तथा गैर-तकनीकी सभी स्तर के पाठ्यक्रमों को विशेष रूप से प्राथमिकता दी गयी है। इसमें दूरस्थ शिक्षा के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम को भी प्राथमिकता दी गयी है। इस योजना के लिए वित्तीय सहायता केन्द्र सरकार देती है और कार्यान्वयन का दायित्व राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों का होता है।

जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षणइस योजना की शुरुआत वर्ष 1992-93 में की गयी जिसका मुख्य उद्देश्य रोजगार के अवसर हेतु कौशल विकास को बढ़ावा देना है। केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में योजना को राज्य सरकारों, केन्द्रशासित प्रदेशों के प्रशासन, संस्थाओं या संगठनों के जरिए सरकार द्वारा स्थापित स्वायत्तशासी निकाय, शैक्षिक और अन्य संस्थान जैसे स्थानीय निकाय, सहकारी समितियों और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा लागू किया जाता है। रोजगार केन्द्रों पर पाँच व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाये जा रहे हैं। प्रत्येक जनजातीय बालक/बालिका को उनकी रुचि के दो कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रत्येक पाठ्यक्रम की अवधि तीन महीने है। प्रशिक्षु को उपनगरीय क्षेत्र के

Scanned with CamScanner

एक प्रशिक्षक शिल्पी के संपर्क में रहना पड़ता है।

कम साक्षरता वाले क्षेत्रों में जनजातीय बालिकाओं की शिक्षा

इस योजना की शुरुआत शिक्षा के क्षेत्र में विकास करने के लिए की गयी है। पाँचवीं कक्षा तक की बालिकाओं के लिए वर्ष 1992-93 में आवासीय विद्यालयों की स्थापना की प्रक्रिया शुरू हुई। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य जनजातिय महिलाओं की साक्षरता दर में वृद्धि करना है। इस योजना में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गयी है। सर्व शिक्षा अभियान, कस्तूरबा गाँधी विद्यालय या शिक्षा विभाग की अन्य योजनाओं के तहत चलाये जा रहे विद्यालयों के बालिका छात्रावासों के लिए केन्द्रीय मंत्रालय के द्वारा इस योजना को वित्तीय मदद मिलती है।

स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा, पेयजल, सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं को उन तक पहुँचाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गयी। इसका प्रमुख कार्य जनजातियों के सर्वांगीण विकास और सामाजिक-आर्थिक उन्नयन के अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना है। मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए जो आवासीय और गैर-आवासीय विद्यालयों, छात्रावासों, अस्पतालों, चल चिकित्सा इकाइयों, कम्प्यूटर प्रशिक्षण इकाइयों, पुस्तकालयों, दृश्य-श्रव्य इकाइयों, कृषि प्रशिक्षण आदि परियोजना को चलाने वाले गैर सरकारी संगठनों को मदद देता है।

राजीव गाँधी राष्ट्रीय फेलोशिप भारत सरकार द्वारा संचालित इस योजना के माध्यम से विद्यार्थियों में उच्च शिक्षा को बढ़ावा तथा उन्हें वित्तीय मदद उपलब्ध करायी जाती है। इस फेलोशिप का प्रारूप शोधार्थियों को एम. फिल., पी.एच.डी. पाठ्यक्रमों के लिए यूजीसी द्वारा उपलब्ध करायी जा रही फेलोशिप के समान है।

अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए विदेश में उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना (गैर-योजना) इसके द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिभाशाली छात्रों को विदेश में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं। ऐसे छात्रों को यात्रा भत्ता के अतिरिक्त विदेशी विश्वविद्यालयों द्वारा वसूल किया जाने वाला सभी प्रकार का शुल्क तथा गुजारा भत्ता भी उपलब्ध कराया जाता है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति के उन उम्मीदवारों को यात्रा अनुदान भी दिया जाता है जिन्हें विदेश में स्नातकोत्तर अध्ययन, अनुसन्धान और प्रशिक्षण के लिए किसी विदेशी सरकार/संगठन से या किसी अन्य योजना के अन्तर्गत योग्यता छात्रवृत्ति प्रदान की गयी हो, लेकिन यात्रा खर्च का प्रावधान न किया गया हो। सन् 2004-05 से यह योजना एक संशोधित रूप में कार्य कर रही है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम

सन् 2011 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति वित और विकास निगम को अलग कर अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम की स्थापना की गयी। जिसका उद्देश्य कमजोर तथा अनुसूचित जनजातियों की आर्थिक उन्नति को तीव्र गति से बढ़ाना है। इसे कम्पनी अधिनियम की धारा 25 के अन्तर्गत लाइसेन्स प्रदान किया गया। निगम की अधिसूचित शेयर पूँजी पाँच सौ करोड़ रुपये और प्रदत्त पूँजी 230 करोड़ रुपये है।

Scanned with CamScanner